

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/7-1/पार्ट/462

भोपाल, दिनांक 08/07/2015

प्रति,

सचिव (समस्त)

कृषि उपज मण्डी समिति,

..... जिला (म.प्र.)

विषय:- मण्डी समितियों में ब्राडबैंड सुविधा हेतु अनलिमिटेड प्लान लेने के संबंध में।

-0-

उल्लेखित विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में प्रदेश की मण्डी समितियों में ई-अनुज्ञा ऑनलाईन लागू की गई है इस हेतु मण्डी समितियों में ब्राडबैंड कनेक्शन की आवश्यकताओं को देखते हुये लिये गये निर्णय अनुसार मण्डी समितियों में अनलिमिटेड प्लान ब्राडबैंड सुविधा हेतु म०प्र० बुक ऑफ फायनेन्सियल पॉवर 2012 के प्रावधान 1.सी.5 के तहत दी गई व्यवस्था तक इन्टरनेट चार्जेस (डाटा यूजेस) के लिये स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रावधान की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उक्त दी गई स्वीकृति के तहत मण्डी समितियाँ ब्राडबैंड कनेक्शन लेने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

प्रबंध संचालक

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/7-1/पार्ट/463

भोपाल, दिनांक 08/07/2015

प्रतिलिपि:-

- (1) संयुक्त/उपसंचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,
- (2) चीफ प्रोग्रामर, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

Prog.